रजिस्ट्रेशन संख्या :– R.N.I. 36355/79
डाक पंजीकरण संख्या :– के0 पी0 सिटी –67/2024–26

चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निषपक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया (भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आदेश प्राप्त एक मात्र संगठन)
इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक इसके स्वयं सदस्य बनें एवं सदस्यता हेतु अभियान चलायें।

पत्र व्यवहार हेतु पता :–
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127/204 'एस' जूही, कानपुर–208014
सम्पर्क सूत्र :– 9450153215 , 9415074806 , 9415486103

वर्ष – 46 ● अंक – 19 ● कानपुर 1 से 15 अक्टूबर 2024 ● प्रधान सम्पादक – डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य ₹ 100

इलेक्ट्रो होम्योपैथी में

स्नातक से कम मूल्य वाले पाठ्यक्रमों का कोई मूल्य नहीं

समय के साथ नहीं चले तो पीछे रह जायेंगे

- ✓ स्नातक से कम पाठयक्रम मूल्यहीन
- ✓ अवधियों का होना चाहिये पुनर्निरीक्षण
- ✓ 6 माह व 1 वर्ष के कोर्स बन्द होने चाहिये
- ✓ शीर्ष संस्थाओं को गम्भीरता से करना होगा आत्ममंथन
- ✓ अपनी–अपनी ढपली नहीं बजायें एक होकर करें काम
- ✓ पूरे देश में एक पाठयक्रम होना चाहिये

प्रथम दृष्टि में किसी भी चिकित्सा पद्धति की योग्यता के लिए उसके पाठयक्रमों का संतुलित होना बहुत आवश्यक है इसके साथ जो व्यवस्थायें होती हैं उनका अनुपालन भी बहुत आवश्यक होता है, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति वैसे तो अधिकार प्राप्त चिकित्सा पद्धति है इस पद्धति से चिकित्सा करना, शिक्षा देना, अनुसंधान करने के अधिकार भारत सरकार व राज्य सरकार दोनों से प्राप्त हैं और दोनों ही सरकारें हमें कार्य करने की पूरी अनुमति प्रदान करती हैं परन्तु हर चिकित्सा पद्धति को कार्य करने के लिए कुछ न कुछ सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी होते हैं और प्रत्येक चिकित्सा पद्धति इन दिशा निर्देशों का पालन करती है एलोपैथी के लिए मेडिकल काउन्सिल ऑफ़ इण्डिया, आयुर्वेद एवं यूनानी के लिए केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद, होम्योपैथी के लिए केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद दिशा निर्देश जारी करते हैं और पद्धतियां उनका अनुपालन करती हैं, चूँकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को अभी तक मान्यता नहीं मिली है मान्यता का प्रकरण सरकार के समक्ष विचाराधीन है इसलिए जब तक मान्यता नहीं दी जाती है तब तक कार्य करने के लिए हमें उन सभी निर्देशों और नियमों का पालन करना होगा जिससे कि जब कभी भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी का प्रकरण शमन की तरफ़ आवे तो कोई भी अधिकारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी की किसी भी गतिविधि को अन्य मान्यता प्राप्त पद्धतियों से कमतर न आंके क्योंकि यह वह ध्रुवसत्य है कि जब इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता दी जायेगी तो मान्यता के लिए जो मानकों के मापदण्ड होंगे यदि हम उनकी कसौटी पर खरे नहीं उतरे तो सम्भावनायें एक बार फिर समय को आगे बढ़ा देंगी।

हमें यह बात हर समय ध्यान रखनी चाहिये कि 18 नवम्बर, 1998 को माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए जो दिशा निर्देश जारी किये थे लेकिन सरकार ने इन दिशा निर्देशों को मानने के बजाये सर्वोच्च न्यायालय की (बेनामी) शरण ली, जब सर्वोच्च न्यायालय ने भी दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश यथास्थिति में रखा, इधर हमारे आन्दोलनकारी साथियों ने लगातार मान्यता के प्रतिवेदन सरकार को भेज–भेज कर सरकार को इस बात के लिए विवश कर दिया है कि सरकार कोई सकारात्मक निर्णय ले, तब सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश और लोगों की मांग दोनों का घालमेल करते हुए एक उच्च स्तरीय कमेटी बना दी इस कमेटी को यह दायित्व दिया गया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता दिये जाने के सम्बन्ध में अपनी विशेषज्ञ राय सरकार को दे, कई मीटिंगों के बाद इस कमेटी ने सरकार को जो रिपोर्ट सौंपी उस रिपोर्ट में विशेषज्ञों ने स्पष्ट लिखा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता के लिए जो आवश्यक मापदण्ड होने चाहिये वह इलेक्ट्रो होम्योपैथी अभी नहीं पूरी कर रही है।

इस प्रकार से इस प्रकरण का पटाक्षेप हो गया लेकिन हमको यह समझाया गया कि मान्यता के लिए आवश्यक मापदण्ड पूरे ही करने होंगे, मान्यता के बाद स्थिति क्या होगी ? किस प्रकार इलेक्ट्रो होम्योपैथी का संचालन होगा ? इसका निर्णय उस समय सरकार द्वारा लिया जायेगा हम सब को उस स्थिति तक पहुँचने के लिए जो मापदण्ड होने चाहिये उसका निर्धारण और अनुपालन स्वयं करना होगा, वैसे इस समय देश और प्रदेश में बहुत कम संस्थायें अधिकारिक रूप से कार्य कर रही हैं फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अधिकार पाने के लिए प्रयासशील हैं और इसी उम्मीद में कार्य कर रहे हैं।

कार्य करना बुराई नहीं है सबको कार्य करना चाहिये क्योंकि कार्य से उम्मीदें बढ़ती हैं, दूसरा ! जब कार्य होते हैं तो समाज में अच्छे सन्देश जाते हैं लेकिन कार्य करने की आड़ में कुछ लोग ऐसे कार्य कर जाते हैं जो कार्य नहीं होने चाहिये ऐसे कार्यों से इलेक्ट्रो होम्योपैथी की छवि बिगड़ती है और कभी–कभी स्थिति यह हो जाती है कि ऐसे कार्यों से जो परिणाम आते हैं वह समाज में गलत संदेश दे जाते हैं वैसे तो आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी का वातावरण कार्य करने के लिये अनुकूल है परन्तु जब मानकों का स्वतः उल्लंघन किया जायेगा तो अच्छी से अच्छी परिस्थितियां भी प्रतिकूलता में परिवर्तित होने में लेश मात्र भी विलम्ब नहीं करती हैं, परिस्थितियां तो पल–पल बदला करती हैं, कब क्या हो जाये ? इसका भी पता नहीं लग पाता है, यदि हम थोड़े से फ्लैश–बैक में जायें तो हमें यह स्वतः ज्ञान हो जायेगा कि परिस्थितियां कितनी तेज़ी से करवट बदलती हैं, कुछ वर्षों पहले तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी में सभी लोग बिना किसी सरकारी नियन्त्रण के कार्य कर रहे थे, कार्य करने में कोई बाधा नहीं थी, रुकावट व अड़चनें दूर–दूर तक दिखायी नहीं देती थीं, समय बदला 18 नवम्बर, 1998 आया थोड़ा परिवर्तन हुआ सन् 2000 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया थोड़ा वक़्त गुज़रा 25 नवम्बर, 2003 ने दस्तक दी और आते ही सबकुछ बदल दिया, बड़े–बड़े ढेर हो गये, जो रुके वह भी रुक–रुक कर चले, समय ने अबकी बार करवट न लेकर अंगड़ाई ली और भाग्य ने साथ दिया परिणामतः 05–05–2010 का जन्म हुआ लेकिन काम करने के अवसर नहीं मिले, प्रयासों का सिलसिला पुनः प्रारम्भ हुआ 21 जून, 2011 को उपहार मिला, सब लोग खुश हुये, पर हम तो उत्तर प्रदेश के हैं, काम भी उत्तर प्रदेश में करना है इसलिये उत्तर प्रदेश में स्थापित होने के लिये प्रदेश सरकार से निवेदन किया हमारे निवेदन में वैधानिकता और कार्य करने के अधिकारों के तथ्य निहित थे प्रदेश सरकार ने इस विषय पर गम्भीरता से विचार करते हुये 04 जनवरी, 2012 को हमें स्वतन्त्रतापूवर्क कार्य करने के अधिकार प्रदान किर दिये, स्वतन्त्रता से आशय है कि हम 25 नवम्बर, 2003 में वर्णित निर्देशों के अनुरुप कार्य करने के लिये अधिकारी हैं, समय ने एक बार फिर करवट ली भारत सरकार का आदेश क्लीनिकल स्टैब्लिशमेन्ट एक्ट 2010 जिसे कि प्रदेश में लागू होना था छः वर्षों तक यह आदेश लागू नहीं हुआ, अन्ततः 13 जुलाई, 2016 को प्रदेश सरकार ने इस क्लीनिकल स्टैब्लिश्मेन्ट एक्ट 2010 के अधीन यू0पी0 क्लीनिकल स्टैब्लिश्मेन्ट (रजिस्ट्रेशन एण्ड रेगुलेशन) रुल्स 2016 पास कर दिया अब यह कानून पूरे प्रदेश में लागू है।

इस कानून के आने से शिक्षण और पंजीयन के विषय में संशोधन किये गये हैं अस्तु इन बदली हुयी परिस्थितियों में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को कार्य करने के लिये इसी के अनुरुप स्वंय को ढालना होगा, जैसा कि प्रारम्भ की पंक्तियों में स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी चिकित्सा पद्धति को स्थापित होने के लिये उसके पाठयक्रम को समयानुकूल होना चाहिये वर्तमान में मान्यता प्राप्त पद्धतियों के जितने भी पाठयक्रम संचालित हो रहे हैं उनकी अवधि साढ़े चार+एक (अध्ययन + इन्टर्नशिप) व चार + एक है (अध्ययन + इन्टर्नशिप) तथा इन सारे पाठयक्रमों का स्तर स्नातक स्तर का है और तो और स्नातक स्तर के जो पैरा मेडिकल कोर्स चल रहे हैं जिन्हें हम प्रैक्टिसिंग कोर्स कहते हैं उनकी भी अवधि 4+1.5 है इन बदली हुयी परिस्थितियों में वह भी जब इलेक्ट्रो होम्योपैथी मान्यता के लिये अंतिम पड़ाव पर है तो यह आवश्यक है कि मान्यता की कसौटी पर खरा उतरने के लिये इलेक्ट्रो होम्योपैथी के पाठयक्रमों में समय रहते संशोधन कर लिया जाये अन्यथः मान्यता की जाँच के प्रथम पड़ाव में ही हम आउट हो जायेंगे साथ ही साथ ऐसे संस्थानों को भी सचेत हो जाना चाहिये जो एक विषय के कोर्सेस चला रहे हैं और जिनकी अवधि 6 माह व एक वर्ष की है इन अवधियों के पाठयक्रम मूल्यहीन हैं और अभ्यर्थियों के साथ छलावा है एक विषयी कोर्स स्नातक स्तर के भी नहीं चलाये जा सकते हैं।

समय, माँग और पूर्ति दोनों का सम्मिश्रण चाहता है इनकी पूर्ति पर ही सफ़लता सम्भावित है, अन्यथः संदिग्ध।

पाठयक्रम यथार्थ के अनुरुप हों

इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आज कल एक बार फिर आगे निकलने की होड़ मच गई है हमारे साथी जो कुछ भी सोच रहे हैं यह तो वही जानते हैं, लेकिन जो दिखाई पड़ रहा है उससे तो यही लगता है कि हमारा हर साथी सबको पीछे छोड़ कर खुद आगे बने रहना चाहता है, आगे बने रहना अच्छी बात है परन्तु यह भी नहीं भूलना चाहिये कि जब बहुत सारे साथी एक साथ चल रहे हों तो आगे कोई एक ही होगा शेष नम्बर दो या तीन पर या फिर इसी क्रम से आगे या पीछे होंगे सम्भव है कि कोई तो पंक्ति में सबसे अंतिम होगा, आगे और पीछे का खेल वहाँ अच्छा लगता है जहाँ कोई नम्बर गेम चल रहा हो परन्तु जहाँ पर लक्ष्य निर्धारित हो और उद्देश्य भी एक हो वहाँ आगे या पीछे कोई अर्थ नहीं रखता।

जब कभी भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी उस समय वही आनन्द उठायेगा जो वांछित मापदण्डों को पूर्ण करेगा, वहाँ पर न तो कोई आगे होगा न कोई पीछे, चिकित्सा व्यवसायी को चिकित्सा व्यवसाय करने की स्वतंत्रता प्राप्त हो तो वहाँ आगे–पीछे का क्या अर्थ ! विद्यालय संचालन का अधिकार हर उस व्यक्ति को प्राप्त होगा जो नई व्यवस्थाओं के अनुसार प्रतिपूर्ति करेगा, यदि शासकीय सेवाओं का अवसर होगा तो वही लाभ उठायेगा जो हर अर्हतायें पूरी करेगा इसलिये हमारे लिये आगे और पीछे दोनों से कोई मतलब नहीं।

यहाँ तो एक ही उद्देश्य है कि किसी भी तरह से इलेक्ट्रो होम्योपैथी स्थापित हो जाये और इस चिकित्सा पद्धति को भी वह सम्मान प्राप्त होने लगे जो अन्य मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों को प्राप्त है, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक को स्थापित करने का हम सब को जो अवसर प्राप्त हुआ है उस अवसर का हम सब लोगों को लाभ उठाना चाहिये, यह लाभ कैसे मिले ? यह हम सब के विवेक पर निर्भर करता है और विवेक का प्रयोग व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर ही हो।

भारत में लोकतंत्र है हर व्यक्ति को अपनी बात कहने व रखने की स्वतंत्रता है परन्तु जब बात इकाई की न होकर जन–कल्याण की हो तो कोई बात कहने या रखने के पहले इस पर बार–बार विचार कर लेना चाहिये कि हम जो कुछ भी कह रहे हैं या दे रहे हैं उसका प्रभाव क्या होगा ?

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान पटल (वर्तमान स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग) द्वारा 25 नवम्बर, 2003 को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में किस प्रकार के कोर्स संचालित किये जा सकते हैं सरकार के इस आदेश के प्रारम्भ से ही निर्देशानुसार पाठयक्रम संचालित करने का अभाव निरन्तर जारी है, कुछ एक संस्थाओं ने पाठयक्रम संचालित भी किये और कुछ ने तो सारी हदें ही पार कर दीं आगे निकलने की होड़ कहें या फिर अधिक बुद्धिमान, एक संस्था ने तो वह सब कुछ कर दिया जो उसे कदापि नहीं करना चाहिये पहले इनके प्रमाण–पत्रों पर डिग्री/बैचलर/मास्टर /सर्जरी हुआ करता था कुछ दिन तो सर्जरी चलती रही परन्तु जब आभास होने लगा कि यह गलत हो रहा है तो नाम में परिवर्तन कर दिया गया जबकि भारत सरकार ने स्पष्ट रुप आदेश जारी किये हैं कि कोई भी गैर मान्यता प्राप्त संस्था अपने प्रमाण पत्रों पर डिपलोमा, डिग्री, बैचलर, मास्टर तथा डॉक्टर जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेगी यदि आदेश का उल्लंघन पाया गया तो सख्त कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है, एक संस्था विशेष ने तो सब को पीछे छोड़ते हुये बैचलर = बेसिक, सर्जरी = सिस्टम, स्वंय अलंकृत शब्दों को इलेक्ट्रो होम्योपैथी के साथ जोड़कर धड़ल्ले से प्रयोग करने लगी।

अब इनको कौन समझाये कि जब इन प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन किया जायेगा तब तथाकथित डिग्री धारक को पता चलेगा कि उसके पास जो प्रमाण पत्र है वह किसी काम का नहीं है अपितु यह मात्र एक कागज़ का टुकड़ा है।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी की समस्त संचालित संस्थाओं को चाहिये कि यदि वे वास्तव में इलेक्ट्रो होम्योपैथी एवं इलेक्ट्रो होम्योपैथों के हितैषी हैं तो वे वही कार्य करें जो केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा निर्देशित हैं इससे इलेक्ट्रो होम्योपैथी का उत्थान तो होगा और उनका भी कल्याण होगा एवं माननीय न्यायालयों की अवमानना से भी बचेंगे।

विवादों से बचना चाहिये

इलेक्ट्रो होम्योपैथी से जुड़े सभी व्यक्ति, कभी न कभी यह सोचते ही होंगे कि वह दिन कब आयेगा जब इलेक्ट्रो होम्योपैथी का नाता विवादों से दूर होगा, पता नहीं क्या बात है ? इतनी सारी चिकित्सा पद्धतियां हैं मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त, कहीं पर कोई विवाद नज़र नहीं आता है, लेकिन जब हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति पर नज़र डालते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद इस चिकित्सा पद्धति का विवादों से ही नाता है।

इस चिकित्सा पद्धति के अन्वेषक महात्मा मैटी ने जब इस चिकित्सा पद्धति को मूर्त रूप दिया तो उस समय भी हैनीमैन के समर्थकों ने इस पद्धति के सिद्धान्त पर विवाद खड़ा कर दिया था, यह तो महात्मा मैटी की दृढ़ता का परिणाम था कि वह पीछे नहीं हटे और इलेक्ट्रो होम्योपैथी को अपनी सोच पर ही स्थिर रखा, फिर इस चिकित्सा पद्धति की औषधियों पर विवाद खड़ा किया गया, विवाद का स्तर यहां तक बढ़ गया था कि मैटी के अलावा अन्य लोग भी इस पद्धति के अन्वेषण पर अपना दावा ठोंकने लगे थे।

साउटर ने बाकायदा इस चिकित्सा पद्धति को अपनी सम्पत्ति मान ली थी और अपने हिसाब से इस पद्धति का प्रसार किया, भारत में इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति कब आयी और कौन लाया ? इस पर भी विवाद खड़ा किया गया, कुछ लोगों का मानना हैं कि भारतवर्ष में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति का पदार्पण फादरमुलर के प्रयासों से हुआ था और कुछ लोग कहते हैं कि भारत में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को लाने का श्रेय पश्चिम बंगाल के चिकित्सक हलधर को जाता है, वहीं कुछ लोग डा0 बल्देव प्रसाद सक्सेना को इसका श्रेय देते हैं।

आपको बता दें कि स्व0 बल्देव प्रसाद सक्सेना की कर्मभूमि विक्टोरिया स्ट्रीट (नक्खास) लखनऊ रही है इसके बाद जब इलेक्ट्रो होम्योपैथी के कार्य करने की बात आयी तो लोग कहते हैं कि जितना काम स्व0 नन्द लाल सिन्हा ने किया उतना काम किसी ने नहीं किया लेकिन दावा करने वाले इसे नहीं स्वीकारते हैं, प्रथम भारतीय इलेक्ट्रो होम्योपैथ डा0 बल्देव प्रसाद सक्सेना के समर्थक सर्वाधिक काम करने का श्रेय स्वयं लेना चाहते हैं।

समय बीता देश में धीरे–धीरे इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जड़ें मज़बूत होने लगी इलेक्ट्रो होम्योपैथी का विकास होने लगा बहुत सारी संस्थायें बनने लगीं और योजनाबद्ध ढंग से कार्य होने लगे समाज में इलेक्ट्रो होम्योपैथों और इलेक्ट्रो होम्योपैथी को सम्मान मिलने लगा इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य होने लगे साहित्य से लेकर औषधियों के निर्माण के क्षेत्र में बहुत तेज़ी से कार्य होने लगा और इस तेज़ी का परिणाम यह हुआ कि सरकार की निगाह इस चिकित्सा पद्धति पर पड़ी, सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हो रहे कार्यों का गम्भीरता से निरीक्षण करने लगी इलेक्ट्रो होम्योपैथी की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए होम्योपैथी के लोगों में ईर्ष्या का भाव जागृत हुआ और होम्योपैथी के नेताओं ने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी वाले होम्योपैथी शब्द का बेजा लाभ उठा रहे हैं।

नेताओं की इस मांग का असर यह हुआ कि तत्कालीन केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद के सचिव डा0 ललित वर्मा ने एक आदेश जारी कर नया विवाद खड़ा कर दिया, कुछ इलेक्ट्रो होम्योपैथी में ऐसे तत्व भी थे जो इस सरकारी आक्रमण से भयभीत हो गये, उन्होंने अपनी संस्थाओं का नाम बदल दिया कुछ इलेक्ट्रोपैथ हो गये कुछ इलेक्ट्रो काम्पेलक्स होम्योपैथ हो गये और कुछ ने तो अपने आप को इलेक्ट्रो हर्बल पैथ घोषित कर दिया, लेकिन हम ठहरे इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रबल समर्थक हमें अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रो होम्योपैथी और उसके सिद्धान्तों पर भरोसा है हम अडिग रहे लड़े और विवादों का शमन भी किया, समय बीतता गया और रोज़ नई–नई परिस्थितियां बनती गयीं और हर नयी परिस्थिति एक नये विवाद को जन्म देती गयी।

1990 में भी एक विवाद हुआ जो हमें बदनाम करने की साजिश थी हमने डटकर सामना किया और साजिश का भण्डाफोड़ हुआ। जब–जब आन्दोलन और अन्य रचनात्मक कार्य तेज़ किये गये सरकार में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को बदनाम करने की साजिश रची जाती रही, विवादों को जन्म दिया जाता रहा लेकिन हम इन सब सारी परिस्थितियों से बेपरवाह आगे बढ़ते रहे, इसी का परिणाम रहा कि हम आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी को उस स्थान तक पहुँचा पाये जहां पहुँचाना चाहते हैं।

1998 में जब दिल्ली हाईकोर्ट, नई दिल्ली द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी को नियमित करने के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किये तब भी विवादों को जन्म दिया गया, हम कहाँ–कहाँ तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विवादों की चर्चा करें बस कष्ट होता है कि यदि विवाद बाहरी लोगों द्वारा पैदा किया जाये तो उनसे लड़ने में मज़ा आता है लेकिन जब विवाद अपनों द्वारा ही किया जाय तो ठीक नहीं लगता है।

किसी शायर की यह पंक्तियां.....

हमें तो अपनों ने ही लूटा ,
गैरों में कहां दम था !
मेरी किशती वहां। डूबी,
जहाँ पानी कम था !!

आज स्थिति यह है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की सम्मानजनक स्थिति बनती जा रही है लेकिन विवादों से पीछा नहीं छूटता यदि चर्चा में रहना है तो विवादों में रहना चाहिये यह सोच राजनीतिज्ञों की तो हो सकती है लेकिन हम सामाजिक आदमियों के लिए नहीं है सबसे ज़्यादा विवाद तो समाचार–पत्रों द्वारा वर्ष 2004 में खड़ा किया गया जब भारत सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय द्वारा 25 नवम्बर, 2003 द्वारा जारी एक आदेश को गलत व्याख्यित होने के कारण पूरे देश को जो कष्ट झेलना पड़ा, उसे सोचकर ही रूह काँप उठती है, यद्यपि वह कोई वास्तविक विवाद नहीं था कुछ लोगों की गलत सोच के कारण मामले ने इतना तूल पकड़ा कि पूरे देश के इलेक्ट्रो होम्योपैथ हिल कर रह गये, ऐसा लगने लगा कि क्या 50 साल की मेहनत एक झटके में ख़त्म हो जायेगी ? लेकिन सबका सहयोग हमारा संयम व दूरगामी नीति के तहत जो प्रयास किये गये उनके सुखद परिणाम देखने को मिले।

वर्ष 2003 से 2010 तक जो स्थिति रही वह बहुत गम्भीर रही सरकारी और न्यायालयी आदेश से लगातार दो चार होना पड़ा विवादों से बचते हुए 7 साल समय पार किया और वह शुभ दिन आया जब सरकार को कहना पड़ा कि **भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी के संचालन पर किसी तरह की रोक का प्रस्ताव नहीं है** इस स्पष्टीकरण के आते ही सबने राहत की सांस तो ली लेकिन यहाँ पर भी वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गयी।

एक संगठन ने दावा किया कि 5–5–2010 के आदेश का उपयोग केवल उन्हीं की संस्था कर सकती है, हमने तब भी नये विवाद को जन्म नहीं दिया था बल्कि धारा को बदलते हुए 21 जून, 2011 को वह ऐतिहासिक आदेश लाने में सफ़ल हुए जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के इतिहास में मील का पत्थर होगा, कल इलेक्ट्रो होम्योपैथी में क्या होगा? इसकी तो कल्पना हम नहीं करते लेकिन जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा उसका आधार में 21 जून, 2011 ही होगा और आपको बता दें कि 21 जून, 2011 का आदेश इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया के नाम है और यह इसी संगठन के प्रयासों का परिणाम है।

यहां पर यह बताना उचित होगा कि 5–5–2010 का आदेश मात्र स्पष्टीकरण है प्रायोगिक नहीं, जबकि 21 जून, 2011 का आदेश ***आदेश है*** जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी की चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान की अनुमति प्रदान करता है।

इस आदेश को देश के हर राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को अपने यहां क्रियान्वित भी करना है, इस आदेश को लागू करवाने के लिए बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 ने प्रयास शुरू किये और 6 माह के अन्तराल के बाद 4 जनवरी, 2012 को उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को अधिकार प्राप्त चिकित्सा पद्धति के रूप में स्थापित करवाने में सफ़लता प्राप्त की, इस आदेश के आते ही प्रदेश के अन्य संस्था के संचालकों ने नये विवाद को जन्म देने का प्रयास किया लेकिन हमने तब भी कहा था कि **इलेक्ट्रो होम्योपैथी सबके लिए** इसकी खुली घोषणा बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 द्वारा खुले मंच से की गयी हमने खुले मन से सबको समाहित करने का प्रयास किया लेकिन जिसको नहीं मानना है वह नहीं मानते, विवादों को जन्म देते ही रहते हैं लेकिन इन सब चिन्ताओं से परे हम सफ़लता की दृष्टि को अंगीकार करते हुए आगे बढ़े इसी का परिणाम है कि आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी मज़बूत से मज़बूत स्थिति की तरफ़ बढ़ रही है बहुत हो चुका, अब विवादों को विराम दें।

काम करने वाले का नाता विवाद से नहीं काम से होता है।

List of Medical Institutes/Institute

Sr.	Code	Name	District	Principle & Mob.No.
1	01	Ashish Electro Homoeopathic Medical Institute	RAIBARELY	EH Dr. P. N. Kushwaha 9415177119
2	03	Awadh Electro Homoeopathic Medical Institute	LUCKNOW	Dr. Ashutosh Kapoor 7007592773 , 9125720111
3	05	Bhagwan Mahaveer Electro Homoeopathic Institute	JAUNPUR	EH Dr. P. K. Maurya 9451162709
4	06	Maa Sarju Devi Electro Homoeopathic Medical Institute	LAKHIMPUR	EH Dr. R.K. Sharma 9454236971
5	11	Chand Par Electro Homoeopathic Medical Institute	AZAMGARH	EH Dr. Mushtaq Ahmad 9415358163
6	12	Institute of Electro Homoeopathy	KANPUR	Contact No 9450153215,9415074806
7	13	Azad Electro Homoeopathic Medical Institute, Kintoor	BARABANKI	EH Dr. Habib-ur-Rehman 8574239344
8	14	Dr. R. C. Upadhyay Institute of Electro Homoeopathic	SADABAD	Dr. Mamita 8193940245
9	15	Electro Homoeopathic Medical Institute	SHAHJAHANPUR	EH Dr. Ammar-Bin-Sabir 9336034277
10	16	Shahganj Electro Homoeopathic Medical Institute	Shahganj JAUNPUR	EH Dr. S. N. Rai 9450088327
11	17	Prema Devi Electro Homoeopathic Medical Institute	SIDDHARTH NAGAR	Dr.Ved Prakash Srivastav 9936022029

List of Study Centres

Sr.	Code	Name	District	Principle & Mob.No.
12	51	Fatehpur E.H. Study Centre	FATEHPUR	EH Dr. Vakeel Ahmad 8115210751
13	52	Deoria E.H. Study Centre	DEORIA	EH Dr. P. K. Srivastav 9415826491
14	53	Bahraich E.H. Study Centre	BAHRAICH	Dr. Bhoop Raj. Srivastav 9451786214
15	54	Unnao E.H. Study Centre	UNNAO	EH Dr. Gaurav Dwivedi 9935332052
16	55	Walidpur E.H. Study Centre	Walidpur MAU	EH Dr. Ayaz Ahmad 9305963908
17	56	Aarti E.H. Study Centre	JALAUN	EH Dr. Gaya Prasad 8874429538
18	57	B.K. E.H. Study Centre	HAMIRPUR (U.P.)	EH Dr. N.B.Nigam 7007352458
19	58	Electro Homoeopathic Study Centre	Hasanganj UNNAO	Hakim Mohd. Rashid Hayat 9005680843
20	59	Sirsaganj E.H. Study Centre	Sirsaganj FIROZABAD	EH Dr. Mohd. Israr Khan 9634503421
21	60	Etawah E.H. Study Centre	ETAWAH	EH Dr. Mohd. Akhlak Khan 7417775346
22	61	Firozabad E.H. Study Centre	FIROZABAD	EH Dr. Shiv Kumar Pal 9027342885
23	62	D.L.M.M. Study Centre of E.H.	MAHARAJGANJ	EH Dr. Prince Srivasta 7398941680
24	63	Kushwaha E.H. Study Centre	KANPUR	EH Dr. Ram Autar Kushwaha 9793264649

AUTHORISED STUDY CENTRES OF OTHER STATES

Sr.	Code	Head of Centre	Address	District
25	81	EH Dr. Devendra Singh Mobile No 9818120565	374/4 Shaheed Bhagat Singh Colony, Karawal Nagar	DELHI-110090
26	82	EH Dr. Abdul Rahman Khan Mobile No 8000241542	12/1891 Ground Floor, Shop No: 3, Honey Park Apartment, Saiyed Wada, Shahpore	SURAT-395003

LIST OF AUTHRISED EXAMINATION CENTRES

Sr.	Code	Name of Examination Centre	Address	Name of Supdt. & Mobile No.
27	91	Khurja E.H. Examination Centre	Kurja , BULAND SHAHAR	EH Dr. P. K. Raghav 7505186156
28	92	E.H. Examination Centre,Moradabad	MORADABAD	EH Dr. S.K. Saxena 8171869605
29	94	E.H. Examination Centre	B.E.H.M.UP. KANPUR	Registrar B.H.M.U.P 0512-2970704
30	96	E.H. Examination Centre	RAIPUR (Chattsgarh)	Dr. Rakesh Dubey 7714915587

Registrar
B.E.H.M.U.P.

क्या आप चिकित्सक बनना चाहते हैं ? प्रतिस्पर्धा की होड़ से बचें !
मँहगी डोनेशनयुक्त मेडिकल शिक्षा लेने में असमर्थ हैं !

तो

इलेक्ट्रो होम्योपैथी विकल्प है भारत सरकार के आदेश संख्या

C.30011/22/2010-HR

व

उ0प्र0 शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 2914/पांच–6–10–23 रिट/11

एवं

2 सितम्बर 2013 को क्रियान्वित आदेश के अनुसार

प्रदेश में विधि सम्मत ढंग से स्थापित

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0
द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों

क्रमशः

F.M.E.H. अवधि 2 वर्ष (4 सेमेस्टर)
अर्हता 10 + 2 उत्तीर्ण

C.E.H. अवधि 2 वर्ष
इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कम्पाउन्डर/फार्मेसिस्ट अर्हता 10वीं पास

G.E.H.S. अवधि 4+1 वर्ष
अर्हता 10 + 2 P.C.B.

P.G.E.H. अवधि 2 वर्ष
अर्हता G.E.H.S. अथवा किसी भी मेडिकल स्ट्रीम में डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण

A.C.E.H. अवधि 1 वर्ष
अर्हता किसी भी राज्य परिषद द्वारा पंजीकृत चिकित्सक/2 वर्षीय मेडिकल अथवा पैरा मेडिकल पाठयक्रम उत्तीर्ण

में प्रवेश लेकर

अधिकारिक चिकित्सक बनकर देश व समाज को चिकित्सा के क्षेत्र में अपना योगदान दें

विस्तृत जानकारी हेतु

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रों होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 की वेबसाइट

www.behm.org.in पर visit करें कोई समस्या हो तो

निम्न हेल्प लाइन नम्बरों से सहायता लें:–

9415074806, 7081624593, 9450153215, 7317590784, 884055156

बी0ई0एच0एम0 के लिए डा0 अतीक अहमद द्वारा गजट प्रेस 126 टी/22 'ए' रामलाल का तालाब, जूही, कानपुर–208014 से मुद्रित एवं मिथलेश कुमार मिश्रा द्वारा कम्प्यूटराइज्ड करा कर 9/1 पीली कालोनी, जूही, कानपुर–208014 से प्रकाशित किया।